न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2416 सन 2026
CNR. No.UPSP 01006141 2026

मोकम उर्फ मोहकम पुत्र गेन्दाराम निवासीगण ग्राम बन्दाहेडी, थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु0अ0सं0–136/2026,
धारा–191(2),191(3),190,352,351(2),109(1),
333,118(1),126(2),324(4),115(2) बी.एन.एस.
थाना गंगोह, जिला सहारनपुर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

08.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **मोकम उर्फ मोहकम** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त **दिनांक 31.05.2026** से न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

जमानत प्रार्थानापत्र के साथ अभियुक्त की ओर से अनिल कुमार पुत्र पिरथी सिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रस्तुत प्रकरण के सन्दर्भ में अभियुक्त का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी द्वारा थाना गंगोह पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि दिनांक 11.03.2026 को समय लगभग 04:30 बजे जब वह अपने घर जाते समय पिरथी के घर के सामने पहुॅचा तो अभिषेक ने उसकी गाडी के आगे अपनी मोटर साईकिल लगाकर उसे गन्दी गन्दी गालियॉ देना शुरू कर दिया और आवाज देकर रोबिन जो कि पहले से ही घात लगाये बैठा हुआ था, को भी बुला लिया। रोबिन द्वारा तेजधारदार हथियार बलकटी से उस पर हमला किया गया जिससे उसकी गाडी का शीशा टूट गया लोगो के आने पर अभियुक्तगण उसे घर चलने पर जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। इसके पश्चात अभिषेक, रोबिन, सुमित उर्फ बबलू, विजयपाल, विक्रम विशाल, मोकम, सचिन उर्फ भोला वादी के घर पर तेजधारदार तलवार, पलकटी लोहे की राड, सरिया व तमंचा लिए आये और गालियॉ देते हुए वादी के घर पर फायर झोक दिया। फायर की आवाज सुनकर वादी का भाई प्रवीन, अरविन्द, सोफ सिंह व सो सिंह आये तो विपक्षीगण ने एक राय होकर वादी के भाई प्रवीण, अरविन्द, वादी के पिता सोफ सिंह, चाचा सो सिंह पर अपने अपने हथियारो से हमला कर उन्हे उपहति कारित की तथा शोर पर अन्य लोगो के आने पर विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गये।

वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर थाना गंगोह पर विपक्षीगण अभिषेक, रोबिन, सुमित उर्फ बब्लू, विजयपाल, विशाल, मोकम, सचिन उर्फ भोला एवं विक्रम के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–136/2026 पंजीकृत मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गई है कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका इस मामले की घटना से कोई सम्बन्ध वास्ता नहीं है। सत्यता यह है कि दिनांक 11.03.2026 को टीटू के मंढे में आस पास के गॉव वाले व रिश्तेदार आये हुए थे। किसी रिश्तेदार का स्कूटर अभियुक्त के परिवार वालो के घर के सामने खडा था तभी वादी सुशील कार से आया और गाली गलोच करने लगा और फोन करके अपने साथियो को बुलाकर उनके घर में

घुसकर अभियुक्त पक्ष के रोबिन, अभिषेक, सचिन, को जान से मारने की नीयत से मारपीट कर गम्भीर उपहति कारित की तथा घर का सामान तोड फोड दिया। अभियुक्त पक्ष के लोगो का चिकित्सीय परीक्षण सरकारी अस्पताल गंगोह पर हुआ और मूल चिकित्सीय परीक्षण आख्या भी थाना पर जमा है। थाना पर अभियुक्त पक्ष की रिपोर्ट दर्ज नहीं किये जाने के कारण अभियुक्त पक्ष की ओर से न्यायालय के माध्यम से घटना के सन्दर्भ में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र जन साक्षी नहीं है। अभियुक्त दिनांक 31.05.2026 से इस मामले में कारागार में निरूद्ध है। उक्त आधार पर अभियुक्त को दौरान विचाराण जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

थाना से प्राप्त केस डायरी एवं आख्या का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामले आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर तलवार, पलकटी, लोहे की राड, सरिया व तमंचा से सुसज्जित होकर वादी पक्ष के लोगो पर हमला करने के आशय से विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर वादी के घर में घुसकर के भाई प्रवीन, अरविन्द, पिता सोफ सिंह, व चाचा सो सिंह को जान से मारने की नीयत से गाली गलोच करते हुए मारपीट कर उपहति कारित की तथा उन पर तमंचा से फायर करने,घर का सामान तोड फोड कर रिष्टि कारित करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना पर यह अभियोग पंजीकृत किया गया है। केस डायरी पर उपलब्ध **आहत प्रवीण** की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में आहत को बायी कलाई के जोड पर ट्रामेटि स्वेलिंग, बाये कोहनी के जोड इन्साईड वून्ड की, छाती पर बयी तरफ रेड कन्टयूजन की कुल तीन चोटे पाया जाना, आहत की चोट सं0–1 व 2 को जेरे निगरानी रखना तथा चोट सं0–3 साधारण प्रकृति की होना अभिलिखित है। आहत की एक्स–रे परीक्षण आख्या में उसके बाये हाथ की अलना बॉन में फ्रेक्चर पाया जाना अभिलिखित है। **आहत सोफ सिंह** की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में उसके सिर पर लेस्रेटिड वून्ड एवं दाहिनी बाजू पर रेड एर्वेजन की कुल दो चोटे पाया जाना, चोट सं0–1 को जेरे निगरानी रखना व चोट सं0–2 साधारण प्रकृति की होना अभिलिखित है। **आहत शो सिंह** की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में उसके शरीर पर उसके कोहनी के जोड पर रेड एर्बेजन की एक चोट पाया जाना अभिलिखित है। आहत की एक्स–रे परीक्षण आख्या में उसकी उसकी बाये हाथ की हयूमरस बॉन में फ्रैक्चर पाया जाना अभिलिखित है। **आहत अरविन्द** की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में उसके शरीर पर आहत के माथे, कोहनी के जोड पर लेस्रेटिड वून्ड की तथा छाती पर रेड एर्बेजन की कुल तीन चोटे आहत की चोट सं0–1 को जेरे निगरानी रखना व चोट सं0–2 व 3 साधारण प्रकृति की होना अभिलिखित है। आहत की एक्स–रे परीक्षण आख्या में उसे बाये हाथ की अलना बॉन में फ्रेक्चर पाया जाना अभिलिखित है। अभियोजन की ओर से उनके विद्वान प्राईवेट अधिवक्ता द्वारा बहस के स्तर पर आरविन्द के सिर की सी0टी0स्कैन आख्या दाखिल करते हुए तर्क किया गया है कि घटना में आयी चोटो के कारण आहत अरविन्द के सिर की चोट में हेडयर लाईन फ्रेक्चर पाया गया है। केस डायरी पर आहत व अन्य साक्षीगण द्वारा अपने बयान में आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ घटना में शामिल होने तथा उसके द्वारा मारपीट किये जाने का कथन किया गया है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि दिनांक 11.03.2026 को अभियुक्त के परिवार वालो के घर के सामने स्कूटर खडा होने की बात पर वादी व उसके साथियो द्वारा अभियुक्त पक्ष के लोगो के साथ गाली गलोच करते हुए घर में घुसकर अभियुक्त पक्ष के रोबिन, अभिषेक, सचिन, को जान से मारने की नीयत से मारपीट कर गम्भीर उपहति कारित की गयी तथा घर का सामान तोड फोड दिया। उक्त घटना के सन्दर्भ में न्यायालय के आदेशानुसार वादी पक्ष के लोगो के विरूद्ध मु0अ0सं0–183/2026 धारा–190,191(2),191(3),333,109(1),115(2),351(2),352,324(4) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त अभिषेक इस मामले में **दिनांक 31.05.2026** से कारागार में निरूद्ध है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक

इतिहास होना अभिकथित नहीं है। मामला क्रास केस से सम्बन्धित होना अभिकथित है। इस स्तर पर आक्रामक पक्ष का निस्तारण किया जाना सम्भव नहीं है। प्रस्तुत मामले में सह अभियुक्त विक्रम की जमानत दिनांक 15.04.2026 को अभियुक्त रोबिन, सचिन की जमानत दिनांक 26.05.2026 व आशीष की जमानत दिनांक 02.06.2026 स्वीकार हो चुकी है।

अतः उपरोक्त तथ्य, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **मोकम उर्फ मोहकम** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन चालीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान राशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर उन्हे निम्नलिखित शर्तो के अधीन दौरान मुकदमा जमानत पर अवमुक्त किया जाये–

1.मामले के प्रत्येक सुनवाई पर प्रार्थी/अभियुक्त स्वॅय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होगा।

2.आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा–351बी0 एन0एस0एस0 के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किये जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।

3.साक्षीगण के उपस्थित आने पर अभियुक्त कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

4.अभियुक्त साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में उसकी जमानत विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार निरस्त की जा सकेगी।

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश,सहारनपुर।
I.D.UP-1891

दिनांक 08.06.2026